ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 192-195

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

दलित आन्दोलन की प्रकृति

नीलम कुमारी
शोध अध्येता– राजनीति विज्ञान, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received- 21.08.2020, Revised- 24.08.2020, Accepted - 26.08.2020 E-mail: - dr.ramanyadav@gmail.com

सारांश : *हम आये दिन अनुसूचित जाति जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? अनुसूचित जाति एक राजनीतिक–वैधानिक (Politico-legal) शब्द है क्योंकि इसका सम्बन्ध भारत के संविधान से है। विशेष लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से बहुत–सी जातियों को संविधन में अनुसूचित कर दिया गया है। वैसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन (Simon Commission, 1927) ने किया, पिफर इसे Government of India Act, 1935, 1935 में स्थान प्राप्त हुआ। आजादी के बाद भारत के संविधान में इस कोटि के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा एवं अन्य विशेष सुविधएँ प्रदान करने के उद्देश्य से इस शब्द को बरकरार रखा गया। उक्त समय तक अछुत एवं शूद्र वर्ण के लोगों के लिए कोई एक समान शब्द नहीं था। वे आज भी व्यवसायों, संख्यात्मक शक्ति, भौगोलिक पृष्ठभूमि और धार्मिक स्तरों के आधर पर बँटे हुए हैं। लगभग सभी अछूत या शूद्र अनुसूचित जाति की परिधि में आते हैं, लेकिन उनमें सामूहिक एकता एवं समानता का अभाव है। ये समूह या जातियाँ शताब्दियों से तथाकथित उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा, भेदभाव की शिकार बनती रही हैं। अछूतों को निम्न कोटि का इसलिए माना जाता था कि पारम्पारिक रूप से वे गंदा काम करते रहे, जैसे– मैला ढोना, कब्र खोदने, जानवरों के चमड़ें सम्बन्धी कार्य आदि अस्वच्छ समझे जानेवाले पेशों से जुड़े थे। इनमें से काफी जातियाँ हिन्दू जाति से बाहर समझी जाती रहीं। हाल ही में, विशेष रूप से आजादी के बाद से उनके अधिकारों को मान्यता मिली है। समाज में उनके स्तर और स्थिति को सुधरने के लिए अनेक प्रयास किए गए तथा किए भी जा रहे हैं, जिनकी चर्चा आगे की जा रही है।*

कुंजीभूत शब्द– अनुसूचित जाति,,राजनीतिक–वैधानिक, सम्बन्ध, संविधान, उद्देश्य, जातियों, अनुसूचित ।

शूद्र तथा अछूत के लिए प्रयोग होनेवाला एक और शब्द 'हरिजन' ईश्वर की सन्तान है। इसका प्रयोग पहली बार महात्मा गाँधी ने जाति–व्यवस्था के निम्नतम स्तर की जातियों के समूह के लिए किया था। इनके लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है, वह है दलित। इस शब्द का प्रयोग पहली बार आम्बेडकर ने किया था, जो गरीब एवं शोषित तथा सामाजिक/धार्मिक रूप से पद्च्युत किए गए लोगों के लिए सामूहिक नाम दिया था। उन्हें अछूत या सामाजिक रूप से दूषित माना जाता था। सत्य यह है कि आम्बेडकर ने दलित शाब्द का प्रयोग सभी प्रकार की पिछड़ी जातियों, जनजातियों या उपेक्षित लोगों के लिए किया था, लेकिन अब इसके प्रयोग पर अनुसूचित जाति का राजनीतिक कारणों से एकाधिकार हो गया है।

अनुसूचित जातियों का वितरण– भारत के प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों की अलग–अलग सूचियाँ हैं, किन्तु सूचियों में ज्यादातर जातियों के नाम समान हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कोई 1108 अनुसूचित जातियाँ हैं। कई जातियों के सदस्यों की संख्या दस लाख से भी अध्कि है। इससे यहाँ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इस देश में 1108 प्रकार की अनुसूचित जातियाँ हैं। कुल मिलाकर यहाँ 471 प्रकार की अनुसूचित जातियाँ हैं (Kumar Suresh Singh] 1999) । जो अनुसूचित जाति एक से अधिक राज्यों में पायी जाती है उसकी हरेक राज्यों में अलग अलग गिनती होती है, जैसे– आदि द्रविड़ दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा ओडिशा में पायी जाती है। उसी प्रकार मोची (चमार), डोम, पासी, पासवान, भंगी आदि उत्तर भारत के एक से अधिक राज्यों में पाये जाते हैं। अतः इनकी गिनती एक से अधिक बार की गयी है ।

2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग 16.6 प्रतिशत है। जनगणना के आँकड़ों को देखने से ऐसा लगाता है कि अनुसूचित जातियों की संख्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, दिल्ली में राष्ट्रीय औसत (16.6 प्रतिशत) से अधिक है। भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जहाँ अनुसूचित जाति एक प्रतिशत से भी कम है, जैसे– अरुणाचल प्रदेश, मेघालय,

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

मिजोरम तथा नागालैंड।

इनमें से सबसे अधिक आबादी वाली जाति चमार है। वे अनुसूचित जातियों की कुल आबादी के एक चौथाई है। अन्य जातियाँ हैं– भंगी, आदि–द्रविड़, पासी, पदीगा, दुसाध, माली, परायण, कोली, महान् आदि । अनुसूति जातियों की कुल आबादी के आधे के लगभग पाँच हिन्दी भाषी राज्यों– उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में हैं। दक्षिण भारत में वे तमिलनाडु और आँध्र प्रदेश में केन्द्रित हैं और पूर्व में बंगाल में । अनुसूचित जातियों का अधिकतम अनुपात 27 प्रतिशत पंजाब में है। अनुसूचित जातियों के लगभग 84 प्रतिशत लोग आज गाँवों में खेतिहर मजदूर, बटाईदार, जोतदार या सीमांत किसान हैं। बिहार, आँध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और केरल में खेतिहर मजदूरों का अनुपात कापफी ऊँचा है। भारत के खेतिहर मजदूरों में लगभग एक तिहाई हिस्सा अभी भी दलितों का ही है। अधिाकतर अनुसूचित जाति के लोगों के पास अपनी भूमि नहीं है। लगभग 80.0 प्रतिशत लोगों के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है। अनुसूचित जातियों के लोग आज भी सपफाई, मैला ढोने और चर्म–कार्य जैसे धंधों में लगे हुए हैं। अनुसूचित जातियों के लगभग दो–तिहाई लोग बन्धुआ मजदूर हैं। अनुसूचित जाति के लोगों में साक्षरता की दा कर कापफी कम है। ज्यादातर ये गरीबी रेखा से नीचे का जीवन–बसर करते हैं और सामाजिक और आर्थिक शोषण के शिकार हैं।

अनुसूचित जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– अनुसूचित जाति की श्रेणी में वे जातियाँ आती हैं जो वर्ण–व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पर थीं तथा जिनका विभिन्न प्रकार से सामाजिक–आर्थिक शोषण सदियों से होता रहा है। इस वर्ग में वे भी शामिल किए गए हैं जिन्हें वर्ण–व्यवस्था के बाहर माना जाता रहा, ब्राह्मणों ने स्वयं को जातीय पदानुक्रम में शीर्ष पर रखा। इस पदानुक्रम में अछूत सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक या न्यायिक अधिकारों से वंचित थे और समाज में उनकी स्थिति लगभग दासों के समान थी। कई विद्वानों ने हिन्दू–समाज में छुआछूत के कारणों एवं प्रचलन को भिन्न तरह से व्याख्या दी है (Srinivas, 1962, 2004; Mandelbaum, 1970; Moffat, 1979; Singh, 1999; Béteille] 2011)।

कुछ लोगों को सामाजिक दृष्टि से निम्न मान लेने को छुआछूत की प्रथा का प्रमुख कारण माना है। अशु(कामों की श्रेणी में, मरे जानवरों को ढोना, बुनकरी, चमड़े का काम, मैला ढोना, सपफाई आदि की गणना की गयी है। जे. एस हट्टन द्वारा जाति–व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या में बताया गया है कि आनुष्ठानिक रूप से शुद्धता–अशुद्धता का अवधारणा सर्वप्रथम आदिवासियों के सन्दर्भ में लागू की गयी। मैक्स वेबर (Max Weber) ने कई कामों को आनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध बताया है। उनका मानना है कि सबसे नीची जातियों को पूर्णतः अशुद्ध एवं प्रदूषणकारी समझा जाता था। इस प्रकार, पेशागत या आनुष्ठानिक शुद्धता की अवधारणा ही मूलतः जिम्मेदार है। शुरू–शुरू में छुआछूत का नियम 'चंडाल' व नृजातीय समूहों (Ethnic Groups) पर लागू किया गया था। धर्म–सूत्रों के सन्दर्भ में वैदिक साहित्य में चांडाल को विलोम संकर यानी कि ब्राह्मण माँ और शूद्र पिता के सहवास से पैदा हुआ बताया गया है। धर्म–सूत्रों से सहमति जताते हुए कौटिल्य ने भी वर्णशंकर सन्तानों को अलग जातीय समूह बताया है। कौटिल्य, अलग–अलग वर्णों के लोगों में वैवाहिक सम्बन्धों की मनाही करते हुए, इस तरह के सम्बन्धें से पैदा सन्तानों को शुद्र की श्रेणी में रखने की हिमायत की है।

ब्राह्मणवाद के प्रणेता मून ने स्पष्ट रूप से स्वपच (Svapacha) जाती; समूहों को चांडालों की श्रेणी में रखा है जिन्हें गाँवों के बाहर रहना पड़ता था तथा वे तन ढकने के लिए मरे जानवरों की खाल, भोजन के लिए टूटे–पफूटे बरतन और आभूषण के लिए लोहे का इस्तेमाल करते थे तथा कुत्ते एवं गधे ही इनकी सम्पत्ति थी। शूद्रों की एक अन्य जाति थी– मृतप (Mritapas)। चांडालों एवं मृतयों के भोजन के बरतन किसी अन्य जाति के लोग नहीं छूते थे क्योंकि मान्यता थी कि किसी भी विद्या से उन्हें शुद्ध नहीं किया जा सकता था।

मनु के पूर्ववर्ती एवं व्याकरणविद् पतंजलि के अनुसार चांडाल एवं मृतय भी बुनकर, लोहार, बढ़ई, धेबी आदि अन्य शूद्रों की ही भाँति आर्यों के नगरों और गाँवों की सीमा में ही रहते थे। मनु के काल में उन्हें गाँव से अलग कर दिया गया और उन्हें जल्लादी एवं मुर्दे जलाने जैसे अशुद्ध माने जानेवाले काम भी सौंपे गए थे।

कहा जाता है कि सन् 1020 ई0 के लगभग डोम एवं चांडाल किसी भी जाति में नहीं थे। वे गाँव की सपफाई और इसी तरह के अन्य कार्य करते थे। उन्हें एक अलग समूह माना जाता था और उन्हें पेंशों के कारण अलग माना जाता था। पेशे के आधार पर शुरू–शुरू में अंत्यजों की ऑठ उपशाखाएँ बनी थीं। पेशे के अनुसार इन उपशाखाओं का पुनर्विभाजन होता रहा। अंत्यजन गाँव के नजदीक ही रहते थे। बाजीगर, धरिकर ;टोकरी और रस्सी बनाने वाले, मल्लाह, शिकारी, मछुआरी, मछुआरे अलग–अलग जातीय समूहों के होने के बावजूद आपस में स्वतंत्रातापूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे, लेकिन वे मोची और बुनकर जातियों से वैववाहिक सम्बन्ध स्थापित करना वर्जित मानते

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

थे। मोची और बुनकर अंत्ज जातियों के समूह में आते थे, जो केवल आपस में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे। सभी अछूत जातियों की धर्मिक अनुष्ठानों में हिस्सेदारी वर्जित थी। उनके पास किसी तरह के धर्मिक अनुष्ठान करने तथा ऐसे अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार नहीं था।

यह माना जाता था कि अछूत जन्म से ही अशुद्ध (Unclean) होता है। अछूतपन का निर्धरण किसी व्यक्ति के जन्म से ही होता है। 'अशुद्ध' (Unclean) जाति में पैदा होने के बाद हिन्दू धर्म में उसके शुद्धिकरण का कोई उपाय नहीं है। उन्हें अपने पूर्वजों की ही भाँति 'अस्वच्छ' पेशे से ही जुड़ना पड़ता था तथा उन्हें इससे बाहर जाने या अपनी इच्छा से काम करने की अनुमति नहीं थी। उनके व्यवहार की कड़ी संहिता थी जिसका उल्लंघन उनके लिए वर्जित था। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करना ही वर्जित नहीं था अपितु यह माना जाता था कि उनकी साँस से वातावरण दूषित हो जाता था तथा उनकी छाया से भी दूर रहते थे। अपने कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में अछूतों का अंग–भंग कर दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता था।

भारत में सामाजिक आन्दोलनों का इतिहास काफी प्राचीन है। यह समाज के एक अंग द्वारा परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयन्त है। भारत के सामाजिक आन्दोलनों में दलित आन्दोलन एवं पिछड़े जातियों का आन्दोलन महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक मानव के रूप में पहचान प्राप्त करने का सघर्ष है।

दलित आन्दोलन (Dalit Movement) : दलित आन्दोलन एक विशिष्ट चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। इसे सिपर्फ आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक दबाव के सन्दर्भ में व्याख्या नहीं की जा सकती, बल्कि यह एक मानव के रूप में पहचान प्राप्त करने का आन्दोलन है। यह आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्णय का स्थान पाने का आन्दोलन है।

दलित का अर्थ (Meaning of Dalit)- दलित सामाजिक असमानता का वह रूप है जिसके आधार पर मनुष्य, मनुष्य के समीप आने, देखने और स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं। इनको सवर्ण जातियों से पृथक रहने की व्याख्या की गइर्द तथा अनेक प्रकार की निर्योग्यताएँ (Disabilities) निर्धरित की गई। इन्हें विभिन्न नामों–भग्य पुरुष, वाह्म जाति, अन्त्यज्य, अवर्ण, चांडाल, पंचम, अछूत/अस्पृश्य, उपेक्षित हरिजन एवं अनुसूचित जाति आदि–से जाना गया।

डॉ० एन० मजूमदार (D.N. Majumdar) ने लिखा है, "अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं की शिकार हैं, इनमें से अनेक निर्योग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परागत तौर पर निर्धरित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं।" ("The untouchable castes are those who suffer from various social and political disabilities, many of which traditionally prescribed and sociacilly enforced by the higher castes.") इस परिभाषा से स्पष्ट है–1. दलित अस्पृश्य जातियाँ सामाजिक एवं राजनीतिक सुविधाओं से वंचित रही हैं। 2. ऐसा व्यवहार उच्च जातियों द्वारा प्रदान किया गया है।

के० एन० शर्मा (K.N. Sharma) के शब्दों में, "अस्पृश्य दलित जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्रा हो जाए और उसे पवित्रा होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े।" इस परिभाषा में शर्मा ने पवित्राता–अपवित्राता के धर्मिक सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान किया है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि दलित पवित्राता एवं अपवित्राता के हिन्दू धर्म सिद्धांत से उत्पन्न है। असमानता पर आधरित जाति व्यवस्था के कारण इन्हें मानवीय पृथकता से ग्रसित रहना पड़ा है तथा विभिन्न तरह के शोषण को सामना करना पड़ता है। बिहार में मोची, मुसहर, पासी, दुसाध एवं धेबी आदि दलित में आते हैं।

दलित आन्दोलन की प्रकृति (Nature of Dalit Movement)- भारत में कोई एक संगठित दलित आन्दोलन नहीं हुआ है। विभिन्न आन्दोलनों ने दलितों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को उभारा है। दलित आन्दोलनों की प्रकृति एवं पहचान के अर्थ में निम्न व्याख्या महत्त्वपूर्ण हो सकता है–

1. भक्ति आन्दोलन : इसने दलितों के हित में अनेक सुधारात्मक कार्यक्रमों को चलाया। रामानुज, रामानन्द, कबीर, नामक, रैदास, चैतन्य एवं तुकाराम आदि इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। इन प्रवर्तकों थे। इन प्रवर्तकों ने जाति एवं वंश के आधार पर व्याप्त सामाजिक असमानता को गलत बताया। संत रामानुज ने दलितों को अपना शिष्य बनाया तथा इन्हें मंदिर प्रवेश कराया।

2. ब्रह्म समाज : राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से दलितों के हित में कार्य किए। जात–पात जेसी धरणा के विरुद्ध यह समाज कार्यशील रहा। इस आन्दोलन को केशवचन्द्र सेन एवं देवन्द्रनाथ ने आगे बढ़ाया।

3. प्रार्थना समाज : प्रार्थना समाज ने दलितों के उत्थान के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए। इसका उद्देश्य जात–पात के भेदभाव के दूर करना था।

4. अनार्य समाज : इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने की। इसका उद्देश्य ने केवल हिन्दू धर्म को पुनर्जीवित करना था, बल्कि दलितों के प्रति

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

भेदभाव के विरुद्ध आन्दोलन चलाया था।

5. रामकृष्ण मिशन : 1897 में स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य एक ओर स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं का वैदान्तिक धर्म के उजाले में प्रचार करना रहा, तो दसूरी ओर सामाजिक सुधारों में जाता–पात के भेदभाव को मिटाना रहा।

6. भारतीय समाज सम्मेलन : 1887 में यह सम्मेलन श्री रानाडे की अध्यक्षता में दलितों के सुधार क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। इसने अनेक सुधरवादी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह एवं अछूतों के सुधार पर विशेष जोर दिया।

7. भारत दलित वर्ग मिशन समाज : बी० आर० शिन्दे 1909 में भारत दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की। इसने दलित वर्ग के कल्याणार्थ काम करने की शपथ ग्रहण की।

8. सर्वेन्ट्स ऑपफ इंडिया सोसायटी : 1904 में इसकी स्थापना हुई इसके द्वारा दलित वर्ग से सम्बन्धित अनेक सराहनीय सुधार कार्य किए गए।

9. हरिजन सुधर आन्दोलन : 1920 में गाँधीजी ने हरिजन सुधार आन्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अभिन्न अंग घोषित किया। 1922 में उनहोंने अस्पृश्यता निवारण को चालू किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गाँधीजी के ही नेतृत्व का पफल था। अपनी हरिजन पत्रिका के माध्यम से गाँधीजी ने इस प्रकार जनमत का निर्माण करने का प्रयत्न किया, जिससे छुआछूत एवं जातिवाद जैसी कुप्रथाओं का अन्त किया जा सके। अपने जीवन के अन्तिम दिन तक गाँधीजी एक सुधारक के रूप में हरिजनों के उत्थान के लिए प्रयत्न करते रहे।

10. ऑल इण्डिया शियूल्ड कास्ट पफेडरेशन एवं समता सैनिक दल : इसकी स्थापना अम्बेदकर ने 1927 में किया। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से दलितों को संगठित करना रहा।

11. समसामयिक काल में दलितः आंदोलन ने जनमानस में निर्विवाद रूप में स्थान प्राप्त कर लिया है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि दलित आन्दोलन तीन वर्गों में विभाजित रहा। 1. सुध ारवादी, 2. प्रतिदानात्मक तथा 3. क्रांतिकारी। इस आन्दोलनों के परिणामस्वरूप दलितों में गतिशीलता आई। समाज में बदलाव के क्रम बने।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Omvelt, Gail : Dalit and the Democratic Revo lution Dr. Ambedkar and the Dalit movement in colonial India, sage publication, New Delhi, 1994.
2. Gore M.S. : The Social context of an ideology : Dr. Ambedkar Political and Social thought, sage publications, New Delhi, 1993.
3. राम पुनियानी : सामाजिक न्याय एक सचित्रा परिचय, वाणी प्रकाशन, 2010.
4. विवेक कुमार : दलित समाज पुरानी समस्याएँ नयी आकांक्षाएँ सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007.

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*